श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री , भारत सरकार

पंजीकरण
अवधि
01.09.2020 से 15.10.2020 तक

कार्यालय प्रयोगार्थ

योगी आदित्य नाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र.

पंजीकरण पुस्तिका–2020
(तृतीय चरण)

60434

प्रधानमंत्री आवास योजना–(शहरी) सबके लिए आवास
भागीदारी में किफायती (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों हेतु (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

परियोजना पूर्ण होने की सम्भावित अवधि 24 माह

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत सी.एस.सी./सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका से चयनित पात्र लाभार्थी ही भवन पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com
Toll Free No. : 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र 0522-2236803

अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (अमर शहीद पथ) लखनऊ

अवध शिल्प ग्राम

"प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास"

उद्देश्य

- ❖ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाओं, 24x7 विद्युत आपूर्ति तथा सुविधाओं के साथ पक्का मकान होगा।
- ❖ भारत के मा. प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से "भागीदारी में किफायती आवास" (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद विभिन्न जनपदों में संचालित परिषद की आवासीय योजनाओं में (जी+3 प्रकार) बहुमंजिले भवनों को प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- ❖ **उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एक परिचय :** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यो में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

भवनों/फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण

1. सुपर एरियाः– 34.07 वर्ग मीटर।
2. कारपेट एरियाः– 22.77 वर्ग मीटर।
3. दो कमरा, एक किचन, स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
4. रु0 5,000/–(रुपये पांच हजार मात्र) देकर फ्लैट/ भवन का पंजीयन कराया जा सकता है।
5. प्रति भवन की कुल लागत – रु0 6.00 लाख
6. केन्द्र सरकार का अंशदान – रु0 1.50 लाख
7. राज्य सरकार का अंशदान – रु0 1.00 लाख

   सरकार का कुल अंशदान योग :– रू0 2.50 लाख
8. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रु0 3.50 लाख प्रति भवन/फ्लैट।
9. प्रथम 30 दिन में पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 के अतिरिक्त चयनोपरान्त आवेदक को रु. 45000.00 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा। तदोपरान्त 03 वर्ष की 12 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जायेगी।

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन का पंजीकरण–2020 (तृतीय चरण)

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 01.09.2020 से दिनांक 15.10.2020 तक

पंजीकरण हेतु फ्लैट/भवनों का विवरण

क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	फ्लैटों/भवनों की संख्या	सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/भवन की कुल लागत रु. लाख मे	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	30 दिन में एक मुश्त जमा धनराशि (रु. में)	शेष धनराशि (रुपये में)	फ्लैट/भवन में त्रैमासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि	
										संख्या (रु. में)	धनराशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हाथरस (ग्राम–रमनपुर) (तहसील–सदर)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
2.	मैनपुरी (औडेण्य पडरीया)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
3.	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4, से.–16)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
4.	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.4, से.–15)	144	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
5.	इटावा (स्पिनिंग मिल योजना)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
6.	फतेहपुर (अन्दौली, विनोबानगर)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
7.	बांदा (ग्राम–लड़ाकापुरवा)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782

8.	कानपुर देहात (ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
9.	कन्नौज (छिबराऊ)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
10.	उन्नाव (ग्राम–सिंगरौसी)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
11.	लखनऊ (कनकहा, मोहनलालगंज)	720	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
12.	लखनऊ (अवध विहार योजना, पाकेट–2)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
13.	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
14.	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर) (तहसील–सदर)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
15.	मेरठ (जागृति विहार योजना, सेक्टर–8ए)	96	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
16.	गाजियाबाद (मण्डोला विहार योजना, से.–19)	624	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
17.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	396	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
18.	बहराइच (भिन्गा मार्ग योजना)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
19.	मऊ (बढुआ गोदाम) तहसील–सदर)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
20.	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
21.	बाराबंकी (ग्राम–बड़ेल) (तहसील–नवाबगंज)	48	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782
22.	मेरठ (जागृति विहार यो.सं.–2)	480	34.07	22.77	6.00	2.50	5000	45000	300000	12	28782

पंजीकरण हेतु पात्रता :

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. पात्रता की शर्तों में सूडा/डूडा नगर निगम, नगर पालिका में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है किन्तु अपंजीकृत आवेदकों का सत्यापन सूडा द्वारा किये जाने के उपरान्त पंजीकृत/सत्यापित आवेदक ही आवंटन हेतु पात्र होंगे।
3. पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष से कम न हो।
4. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों हेतु अधिकतम रु. 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। योजना के प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पूर्व ज़ारी हुये आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति–पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
6. आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायती इकाईयाँ) नहीं होनी चाहिए।
7. आरक्षित/दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी जाति/दिव्यांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदक/लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यूनिक आई0डी0 संख्या (जो आवंटित हुई है) तथा आधार नम्बर अंकित होना चाहिए।
9. पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है।
10. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे।
11. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजीकरण/आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट :–

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदक यदि केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन/पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीकरण/आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश/दिशा–निर्देश बाध्यकारी होगें।
- भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाये जाने एवं अनुदान दिये जाने की धनराशि के संबंध में शासनादेश में संशोधन/पुनरीक्षित आदेश बाध्यकारी होंगे।
- योजना से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विवाद की स्थिति में, आवास आयुक्त उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, का निर्णय अंतिम होगा।
- केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में दिये जाने वाले सभी दिशा निर्देश मान्य होंगे।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना(शहरी)–सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।**

पंजीकरण/चयन की नियम व शर्तें

- **आवेदन आफलाइन माध्यम से किये जायेंगे।**
- ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
- पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकृत होगें, के आधार पर किया जायेगा। किन्तु अपंजीकृत आवेदकों का सत्यापन सूडा द्वारा किये जाने के उपरान्त पंजीकृत/सत्यापित आवेदक ही आवंटन हेतु पात्र होंगे।
- आवंटन प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् चयनित पात्र लाभार्थियों का नाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित किये जायेगें।
- पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में (NEFT/RTGS के माध्यम से) वापस कर दी जायेगी।
- आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।
- यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- चयन/लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनकों आवंटित सम्पत्ति का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथा सम्भव प्रसारित कर दिया जायेगा।
- यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेशन–पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात पंजीकरण/आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
- उ0प्र0 भू–सम्पदा(विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को **आवंटित** सम्पत्ति का आवंटन/मांग पत्र निर्गम से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम–2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
- फ्लैट/भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रूपया 100 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/भवन का कब्जा दिया जायेगा।
- आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, (कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासना देश के अनुसार) रू0 500/–स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् विक्रय विलेख/सेल डीड निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
- **प्रथम 30 दिन में पंजीकरण धनराशि रु. 5000 के अतिरिक्त चयनोपरान्त आवेदक को रु. 45000 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा। तदोपरान्त 03 वर्ष की त्रैमासिक किश्तों में MCLR+1 प्रतिशत (7.95+1%) ब्याज सहित भुगतान की सुविधा दी जायेगी।**
- MCLR+1% के अनुसार अवशेष जमा धनराशि जिन पर 03 वर्ष की किश्तों का निर्धारण दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी MCLR+1 प्रतिशत (7.95+1%) की दर से गणना की जायेगी। देय निर्धारित किश्तों का बिलम्ब से भुगतान किये जाने की दशा में MCLR+1% के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
- **एकमुश्त भुगतान करने वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी व उनकी सार्वजनिक लाटरी पहले की जायेगी।**

IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

आरक्षणः

उ.प्र. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 1022/आठ–1–18–93 विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के क्रम में, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" व्यवस्था निम्नानुसार की गई है –

(अ) वर्टिकल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%

(ब) हारिजेंटल वरीयता

क0 सं0	श्रेणी	हारिजेंटल वरीयता	कोड
1	दिव्यांगजन	05% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)	D
2	विधवा/एकल महिला	08%	W
3	उभयलिंगी (Transgender)	0.5%	T
4	अल्प संख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।	M
5	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)	S

- आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- संबंधित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट : उ.प्र. शासन द्वारा अन्य किसी श्रेणी/वर्ग को आरक्षण/वरीयता निर्धारित किया जाता है, तदनुसार आरक्षण/वरीयता अनुमन्य होगा।

आवंटन :

- आवेदकों की सूची जिलाधिकारी/अध्यक्ष सूडा को प्रेषित की जायेगी एवं वह इस सूची का भौतिक सत्यापन करते हुये सत्यापित सूची, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायेंगे। सत्यापित सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
- आवंटी विद्युत कनेक्शन, संबंधित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।
- लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध होगा।
- आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।
- इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।
- भविष्य में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में लिये गये निर्णय, आवेदक द्वारा मान्य होंगे।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

- यदि आवेदक/आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पंजीकरण/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नियमानुसार अद्यतन भुगतान करने पर यथास्थिति हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

भवनों का कब्जा :

- भवनों का निर्माण आगामी दो वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु भवनों का कब्जा पूर्व में निर्गत शासनादेश के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों के पूर्ण किये जाने के अनुसार अनुमन्य होगा।

- परिषद द्वारा सूचित अवधि में पट्टा विलेख न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब/रख–रखाव शुल्क प्रति माह देय होगा।

- योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कामन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास कर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यों हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में संपूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक अनुरक्षित किया जायेगा। 5 वर्ष से पूर्व आर.डब्लू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण हाने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन भवन के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त शासनादेश संख्या 3188/आठ–1–13–80 विविध/2010 दिनांक 05.12.2013 के प्रस्तर–2 के अनुसार ई.डब्लू.एस. व एल.आई.जी. भवनों का विक्रय/हस्तान्तरण आवंटन की तिथि से 05 वर्षों तक प्रतिबन्धित है। परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जायेगी, तत्पश्चात बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जायेगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि परिषद को वापस हो जायेगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष में औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये एवं पंजीकरण अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए कब्जा दिया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि के बाद ही विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त इकाई परिषद में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनरांशि देय नहीं होगी।

भवनों के निर्माण हेतु भूमि एवं वाह्य विकास कार्य की व्यवस्था –

- आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 1131/आठ–1–17–106 विविधि/2018 दिनांक 11.07.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

- शासन के आदेश संख्या–1878/आठ–1–18–80 विविध/2010/दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के वाह्य विकास कार्य निम्नानुसार विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्था के द्वारा कराये जाने हैं :

1. एप्रोच रोड एवं ड्रेन/सीवर

(अ) नगर के मुख्य मार्ग से योजना परिसर को जोड़ने वाली एप्रोच रोड उ.प्र. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप बिटुमिन्स रोड के रूप में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से निर्मित की जायेगी।

(ब) एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जायेगा। जनपद स्तर पर अन्य स्रोतों से भी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

(स) योजना परिसर से नगर के मुख्य नाले तक जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण नगर निगम स्थानीय नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

(द) योजना परिसर के निकटवर्ती नगर के क्षेत्र में सीवर प्रणाली होने की स्थिति में परिसर से नगर के मुख्य सीवर को जोड़ने वाली ट्रंक सीवर का निर्माण उ.प्र. जल निगम/नगर निगम स्थानीय नगर विकास द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी।

2. बाह्य जलापूर्ति

(अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में ओवर–हेड–टैंक (आवश्यकतानुसार) नलकूप राइजिंग मेन, पम्पिंग–प्लान्ट तथा पम्प हाउस का निर्माण उ.प्र. जल निगम द्वारा वाटर सप्लाई मैनुअल के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक कार्य की लागत के आधार पर बजट की व्यवस्था नगर विकास विभाग द्वारा की जायेगी तथा पेयजल का स्रोत समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(ब) पम्प हाउस में विद्युत संयोजन की कार्यवाही उ.प्र. जल निगम द्वारा अपने उपरोक्त विभागीय बजट से करायी जायेगी तथा पेय जलापूर्ति हेडवर्क्स रख–रखाव हेतु नगर निकाय को हस्तगत की जायेगी।

3. बाह्य विद्युतीकरण

(अ) योजना के प्रत्येक पाकेट में बाह्य विद्युतीकरण उ.प्र. पावर कारपोरेशन द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये वास्तविक लागत के अनुसार शासन स्तर से विद्युत वितरण प्रणाली हेतु आवंटित अपने विभागीय बजट के माध्यम से करायी जायेगी।

(ब) बाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत सब–स्टेशन, ट्रान्सफार्मर लगाना, भूमिगत एल.टी. लाईन तथा भवनों में विद्युत संयोजन का कार्य (फीडर पिलर के माध्यम से) सम्मिलित होगा।

(स) भवनों में विद्युत संयोजन के अन्तर्गत एल.टी. लाईन से भवनों के ब्लाक्स में स्टेअर केस पर मीटर पैनल जोड़ने का कार्य सम्मिलित रहेगा।

(द) मेन स्विच लगाने व मेन स्विच से प्रत्येक भवन तक विद्युतीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा भवन की निर्धारित लागत में सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त कार्य शासन द्वारा परिषद को धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर परिषद द्वारा भी सम्पादित कराये जा सकेंगे।

भवनों/फ्लैटों हेतु निर्धारित बैंकों का विवरण

निर्धारित बैंक शाखाओं का विवरण जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है

पंजीकरण दिनांक 01–09–2020 प्रारम्भ पंजीकरण

आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम दिनांक 15–10–2020

क्र.सं.	योजना / शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं.			
		Name	**Bank**	**Address**	**Mobile No.**	**Account No.**	**IFSC Code**
1.	जागृति विहार योजना, मेरठ	Avinash Kumar	HDFC	Suryansh Plaza 171/1, Taru Kunj, Garh Rd. Meerut	9319050019	50100347976235	HDFC0001911
2.	सिविल लाईन्स योजना, गोण्डा	Santosh Kumar Shukla	HDFC	House No. 144 Mohan Tower, Station Road Gonda	8090124258	50100291409166	HDFC0001901
3.	भिन्ना मार्ग योजना, बहराइच	Amish Agrawal	HDFC	1180, Digiha Gonda Road, Behraich	8799048287	50100291409192	HDFC0000866
4.	बढुआ गोदाम तहसील सदर मऊ	Vindeshwar Pandey	HDFC	Jyoti Tower Shahadatpura, Maunath Bhanjan, Mau	9838792938	50100098178879	HDFC0001910
5.	ग्राम धूधुलपुर योजना बलरामपुर	Deep Narayan	HDFC	Jankiballabh Complex Veer Vinay Crossing, Balrampur	9956299910	50100291409179	HDFC0001886
6.	ग्राम बड़ेल तहसील नवाबगंज बाराबंकी	Sarfaraz Alam	Indusind	Barabanki	9670734777	150782783784	INDB0000435
7.	स्पिनिंग मिल योजना इटावा	Rajeshwar Pandey	HDFC	614/1/2/3 Katra, Fateh Mamoor Khan Old Agra, Kanpur Road, Etawah	9839084820	50100320737918	HDFC0009596
8.	अन्दौली विनोबानगर, फतेहपुर	Abhishek Sharma	HDFC	Utsav Palace, Civil Lines, Fatehpur	9412874666	50100294994496	HDFC0001903

क्र.सं.	योजना / शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं.			
		Name	**Bank**	**Address**	**Mobile No.**	**Account No.**	**IFSC Code**
9.	ग्राम लड़ाकापुरवा योजना बांदा	Ganjan Khare	HDFC	153/25, Amar Cinema Complex, Mohalla Gular Naka Banda	9005589259	50100321838505	HDFC0001950
10.	ग्राम आलमचन्द्रपुर तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात	Sachin Srivastava	HDFC	Mati Road, Akbarpur Near Ech Hospital Kanpur Dehat	8795843737	50100340693832	HDFC0001903
11.	छिबरामऊ योजना कन्नौज	Ankit Srivastava	HDFC	Malik Complex, MG Road, Kannauj	9307989972	50100342353884	HDFC0001903
12.	मझोला विहार यो.सं.–4 सेक्टर–16 मुरादाबाद	Bhanu Pratap Singh	Indusind	Civil Lines Moradabad	8193046919	150722723724	INDB0000151
13.	मझोला विहार यो.सं.–4 सेक्टर–15 मुरादाबाद	Bhanu Pratap Singh	Indusind	Civil Lines Moradabad	8193046919	150733734735	INDB0000151
14.	रमनपुर तहसील सदर, हाथरस	Kuldeep Singh	Axis	Ground Floor Dev Complex Aligarh Road Hathras	8630452224	920010040956246	UTIB0001692
15.	औडेण्य पडरिया मैनपुरी	Tej Bahadur Singh	Axis	Mainpuri	8936910931	919010083363179	UTIB0001692
16.	ग्राम–कनकहा मोहनलालगंज लखनऊ	Brijesh G. Singh	HDFC	Khasra No. 1153 and, 1154, Raibarelly Road, Mohanlalganj Lucknow	9307096384	50100157742160	HDFC0001112
17.	तत्यौरा, परगना–बावन हरदोई	Vijay Singh Aman Singh	Axis	Hardoi	9457548940 8874207591	919010083363182	UTIB0001692

क्र.सं.	योजना / शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं.			
		Name	**Bank**	**Address**	**Mobile No.**	**Account No.**	**IFSC Code**
18.	ग्राम देवानंदपुर तहसील सदर, रायबरेली	Sunny Mehrotra	ICICI	Raebarrelly	9695756235	628101106327	ICIC0006281
19.	ग्राम सिंगरौली उन्नाव	Anurag Rai	HDFC	356 Taki Nagar, Unnao	9795061653	50100340693861	HDFC0001918
20.	अवध विहार योजना, पाकेट –2, लखनऊ	Rahul Nigam Shweta Shukla	Axis	Lucknow	9554476691 9839316921	919010083363218	UTIB0001692
21.	मण्डोला विहार योजना, सेक्टर– –19, गाजियाबाद	Smeeksha Pandey	HDFC	G-2 and 3 Windsour Park, 5, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad	9958787719	50100274342482	HDFC0004729
22.	जागृति विहार मेरठ सेक्टर–2,	Avinash Kumar	HDFC	Suryansh Plaza, 171/1 Taru Kunj, Garh Road, Meerut	9319050019	50100349985939	HDFC0000655

परिषद के सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों का विवरण

(आगरा जोन)

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	हाथरस	श्री केशव राम	ऑफिस कार्यालय सिकन्दरा योजना	7705003066
2.	मैनपुरी	श्री केशव राम	ऑफिस कार्यालय सिकन्दरा योजना	7705003066

(बरेली जोन)

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	मुरादाबाद मझोला योजना सेक्टर–16	श्रीमती रूमा रतन	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मझोला योजना संख्या–4, भाग–2 मुरादाबाद	8795810741
2.	मुरादाबाद मझोला योजना सेक्टर–15	श्रीमती रूमा रतन	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मझोला योजना संख्या–4, भाग–2 मुरादाबाद	8795810741

(कानपुर जोन)

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	इटावा (स्पिनिंग मिल)	श्री पी.के. उपाध्याय	आफिस काम्पलैक्स उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, केशवपुरम योजना, कल्याणपुर कानपुर	8795810744
2.	फतेहपुर (अन्दौली)	श्री पी.के. उपाध्याय		8795810744
3.	बांदा	श्री पी.के. उपाध्याय		8795810744
4.	कानपुर देहात, कन्नौज उन्नाव	श्री पी.के. उपाध्याय		8795810744

(लखनऊ जोन)

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	लखनऊ (कनकहा, मोहनलालगंज)	श्री के.डी. शर्मा	ऑफिस कार्यालय सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ	8795811111
2.	अवध विहार योजना (पाकेट–2) लखनऊ	श्री आर.के. सिंह		8795810666
3.	हरदोई	श्री हरि मोहन		7705002895
4.	रायबरेली	श्री के.डी. शर्मा		8795811111
5.	बाराबंकी	श्री के.डी. शर्मा		8795811111

(वाराणसी जोन)

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	गोण्डा, बहराइच	श्री सुभाष मौर्य	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, शाहपुर योजना गोरखपुर	8795811050
2.	मऊ बलरामपुर	श्री सुभाष मौर्य		8795811050

(मेरठ जोन)

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	पता	मोबाइल नं.
1.	मेरठ (जागृति विहार योजना)	श्री अनिल गुप्ता	ऑफिस काम्पलेक्स शास्त्रीनगर, मेरठ	7705002891
2.	गाजियाबाद (मण्डोला विहार योजना)	श्री हेतम पाल सिंह	ऑफिस काम्पलेक्स मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद	8795811049

परिषद के जोनल अधिकारियों का विवरण

क्रमांक	योजना/शहर का नाम	अधिकारी का नाम	मोबाइल नं.
1.	आगरा जोन	श्री राजीव गुप्ता	8795810035
2.	बरेली जोन	डॉ. अनिल कुमार	8795810018
3.	कानपुर जोन	श्री रामायण शरण	8795810032
4.	लखनऊ जोन	डॉ. अनिल कुमार	8795810018
5.	मेरठ जोन	सुश्री शेरी	8795810007
6.	वाराणसी जोन	श्री नरसिंह प्रसाद	8795810021

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पंजीकरण खोले जाने हेतु जनपदवार प्रस्तावित भवनों का विवरण

क्र.सं.	जनपद / स्थल का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	रेरा पंजीयन संख्या
1.	मेरठ (जागृति विहार योजना से.–8–ए)	96	UPRERAPRJ930149
2.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	396	UPRERAPRJ814610
3.	बहराइच (भिन्ना मार्ग योजना)	48	UPRERAPRJ772651
4.	मऊ (बढुआ गोदाम, तहसील–सदर)	48	UPRERAPRJ704819
5.	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	48	UPRERAPRJ113803
6.	बाराबंकी (ग्राम–बड़ेल तहसील–नवाबगंज)	48	UPRERAPRJ506045
7.	इटावा (स्पिनिंग मिल योजना)	48	UPRERAPRJ362532
8.	फतेहपुर (अन्दौली, विनोबानगर)	96	UPRERAPRJ768148
9.	बांदा (ग्राम लड़ाकापुरवा)	48	UPRERAPRJ658600
10.	कानपुर देहात (ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर)	48	UPRERAPRJ134466
11.	कन्नौज (छिबरामऊ)	48	UPRERAPRJ709744
12.	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4) से.–16	96	UPRERAPRJ156012
13.	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4) से.–15	144	UPRERAPRJ685451
14.	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	48	UPRERAPRJ504901
15.	मैनपुरी (औडेण्य पडरिया)	96	UPRERAPRJ860406
16.	लखनऊ (ग्राम–कनकहा, मोहनलालगंज)	720	UPRERAPRJ398030
17.	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	96	UPRERAPRJ968069
18.	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	96	UPRERAPRJ340768
19.	उन्नाव (ग्राम–सिंगरौसी)	48	UPRERAPRJ583195
20.	लखनऊ (अवध विहार योजना, पाकेट–2)	96	UPRERAPRJ290595
21.	गाजियाबाद (मण्डोला विहार योजना) सेक्टर–19	624	UPRERAPRJ552035
22.	मेरठ (जागृति विहार योजना, सेक्टर–2)	480	UPRERAPRJ321319

योजना / शहर का कोड संख्या

क्र.सं.	योजना शहर का नाम	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या	कोड संख्या
1.	मेरठ (जागृति विहार योजना से.–8–ए)	96	01
2.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	396	02
3.	बहराइच (भिन्ना मार्ग योजना)	48	03
4.	मऊ (बढुआ गोदाम, तहसील–सदर)	48	04
5.	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	48	05
6.	बाराबंकी (ग्राम–बड़ेल तहसील–नवाबगंज)	48	06
7.	इटावा (स्पिनिंग मिल योजना)	48	07
8.	फतेहपुर (अन्दौली, विनोबानगर)	96	08
9.	बांदा (ग्राम लड़ाकापुरवा)	48	09
10.	कानपुर देहात (ग्राम–आलमचन्द्रपुर तहसील–अकबरपुर)	48	10
11.	कन्नौज (छिबरामऊ)	48	11
12.	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4) से.–16	96	12
13.	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4) से.–15	144	13
14.	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	48	14
15.	मैनपुरी (औडेण्य पडरिया)	96	15
16.	लखनऊ (ग्राम–कनकहा, मोहनलालगंज)	720	16
17.	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	96	17
18.	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	96	18
19.	उन्नाव (ग्राम–सिंगरौसी)	48	19
20.	लखनऊ (अवध विहार योजना, पाकेट–2)	96	20
21.	गाजियाबाद (मण्डोला विहार योजना) सेक्टर–19	624	21
22.	मेरठ (जागृति विहार योजना, सेक्टर–2)	480	22

भवनों का विवरण

आगरा जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आगरा जोन	हाथरस (ग्राम–रमनपुर तहसील–सदर)	144	48
2.	आगरा जोन	मैनपुरी (औडेण्य पडरिया)	528	96

बरेली जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	बरेली जोन	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4) से.–16	528	96
2.	बरेली जोन	मुरादाबाद (मझोला योजना सं.–4) से.–15	1200	144

कानपुर जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कानपुर जोन	इटावा (स्पिनिंग मिल योजना)	192	48
2.	कानपुर जोन	फतेहपुर (अन्दौली, विनोबानगर)	624	96
3.	कानपुर जोन	बांदा (ग्राम–लड़ाकापुरवा)	240	48
4.	कानपुर जोन	कानपुर देहात (ग्राम–आलमचन्द्रपुर, तहसील–अकबरपुर)	480	48
5.	कानपुर जोन	कन्नौज (छिबरामऊ)	96	48
6.	कानपुर जोन	उन्नाव (ग्राम–सिंगरौसी)	240	48

लखनऊ जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	लखनऊ जोन	लखनऊ (ग्राम–कनकहा) मोहनलालगंज	720	720
2.	लखनऊ जोन	हरदोई (तत्यौरा, परगना–बावन)	528	96
3.	लखनऊ जोन	रायबरेली (ग्राम–देवानन्दपुर तहसील–सदर)	528	96
4.	लखनऊ जोन	लखनऊ (अवध विहार योजना, पाकेट–2)	576	96
5.	लखनऊ जोन	बाराबंकी (ग्राम बडेल)	288	48

मेरठ जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मेरठ जोन	गाजियाबाद (मण्डोला विहार योजना, सेक्टर–19)	6000	624
2.	मेरठ जोन	मेरठ (जागृति विहार योजना सेक्टर–8ए)	816	96
3.	मेरठ जोन	मेरठ (जागृति विहार योजना सेक्टर–2)	480	480

वाराणसी जोन

क्र.सं.	जोन का नाम	जनपद / स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. स्वीकृत भवनों के सापेक्ष पंजीकरण हेतु अवशेष भवन	रु. 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	वाराणसी जोन	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	396	396
2.	वाराणसी जोन	बहराइच (भिन्ना मार्ग योजना)	192	48
3.	वाराणसी जोन	मऊ (बढुआ गोदाम, तहसील–सदर)	192	48
4.	वाराणसी जोन	बलरामपुर (ग्राम–धूधुलपुर)	288	48

मानानीय प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद के विभिन्न शहरों में दुर्बल आय वर्ग भवनों/फ्लैटों (जी+3) के आफलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

आफलाइन भुगतान प्रक्रिया –

- दुर्बल आय वर्ग की सुविधा के दृष्टिगत आवेदन पत्र ऑफलाइन स्वीकार होंगे।
- आवेदन पत्र पंजीकरण पुस्तिका जिसमें सम्पूर्ण विवरण उल्लिखित है, निर्धारित बैंक से सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही पंजीकरण पुस्तिका क्रय कर सकता है।
- आवेदन पत्र के सभी कालम भरना अनिवार्य है, जिसमें अपने खाते का विवरण (खाता सं., बैंक का नाम, एवं शाखा तथा आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या) अंकित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक लाटरी में असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी में सुविधा होगी।
- सम्पूर्ण प्रविष्ट के उपरान्त पंजीकरण के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र सम्बंधित बैंक में जमा करना होगा।
- अपूर्ण सूचना के साथ भरे आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र जमाकर्ता बैंक से प्राप्त जमा रसीद को सुरक्षित रखेंगे तथा जमा रसीद पर अंकित संख्या महत्वपूर्ण है।
- आवेदन पत्र में वांछित सूचना यथा आरक्षण एवं अन्य से सम्बन्धित प्रमाणित दस्तावेज आवेदन पत्र में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक लाटरी से एक सप्ताह पूर्व परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर आवेदनकर्ताओं की सूची प्रदर्शित होगी।
- आवेदन पत्र को नीली स्याही से ही भरा जायेगा।
- **पंजीकरण पुस्तिका विक्रय हेतु निर्धारित बैंकों द्वारा पंजीकरण पुस्तिका विक्रय करते समय ही पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पर बैंक की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे।**

डिमाण्ड ड्राफ्ट – डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान करने हेतु पंजीकरण पुस्तिका में अंकित बैंक खाते के पक्ष में पंजीकरण धनराशि रु. 5000.00 का ड्राफ्ट बनवायें।

नोट – डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।

IS 15700 : 2005 सेवोत्तम प्रमाणित

रू0 10/–के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

शपथ–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी..उम्र..............................वर्ष........................
पुत्र / पुत्री / पत्नी...निवासी... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूॅ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूॅ।

2. मैं घोषणा करता / करती हूॅ कि मैंने अथवा मेरे पति / पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हॅू उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। मेरे या मेरे परिवार के नाम भारत वर्ष अथवा उ0प्र0 राज्य के अन्य किसी नगर / शहर में कोई भी भवन / भूखण्ड नहीं है।

4. यदि भूअर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से जी+3 प्रकार के फ्लैट के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा / करूंगी।

5. मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती / सुश्री .... जो रिश्ते में मेरे / मेरी .... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरियता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री / श्रीमती / सुश्री .... जो मेरे / मेरी .... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

6. मैंने पंजीकरण पुस्तिका का भलिभांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्दिष्ट समस्त शर्तों प्रतिबंधों का अनुपालन करूंगा / करूंगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद को मेरा आवंटन निरस्त करने एवं पजीकरण धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं का खाता सं. / बैंक / शाखा अंकित किया गया है। वह संचालित रहेगा।

8. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... में समस्त श्रोत्रों से मेरी कुल वार्षि आय (रू0 3,00,000 से अधिक नही थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आ सम्मिलित है।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत केन् सरकार/सूडा/डूडा में आवेदित व्यक्ति की पंजीकरण संख्या............................आधार नम्बर......................... ....पंजीकृत है।

10. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 9 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान–बूझकर परिषद को दिया गया है, तो परिषद मेरे विरूद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 10 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में सरकार/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कोई भी दिशानिर्देश दिये जाते हैं तो वह मेरे द्वारा मान्य होंगे।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

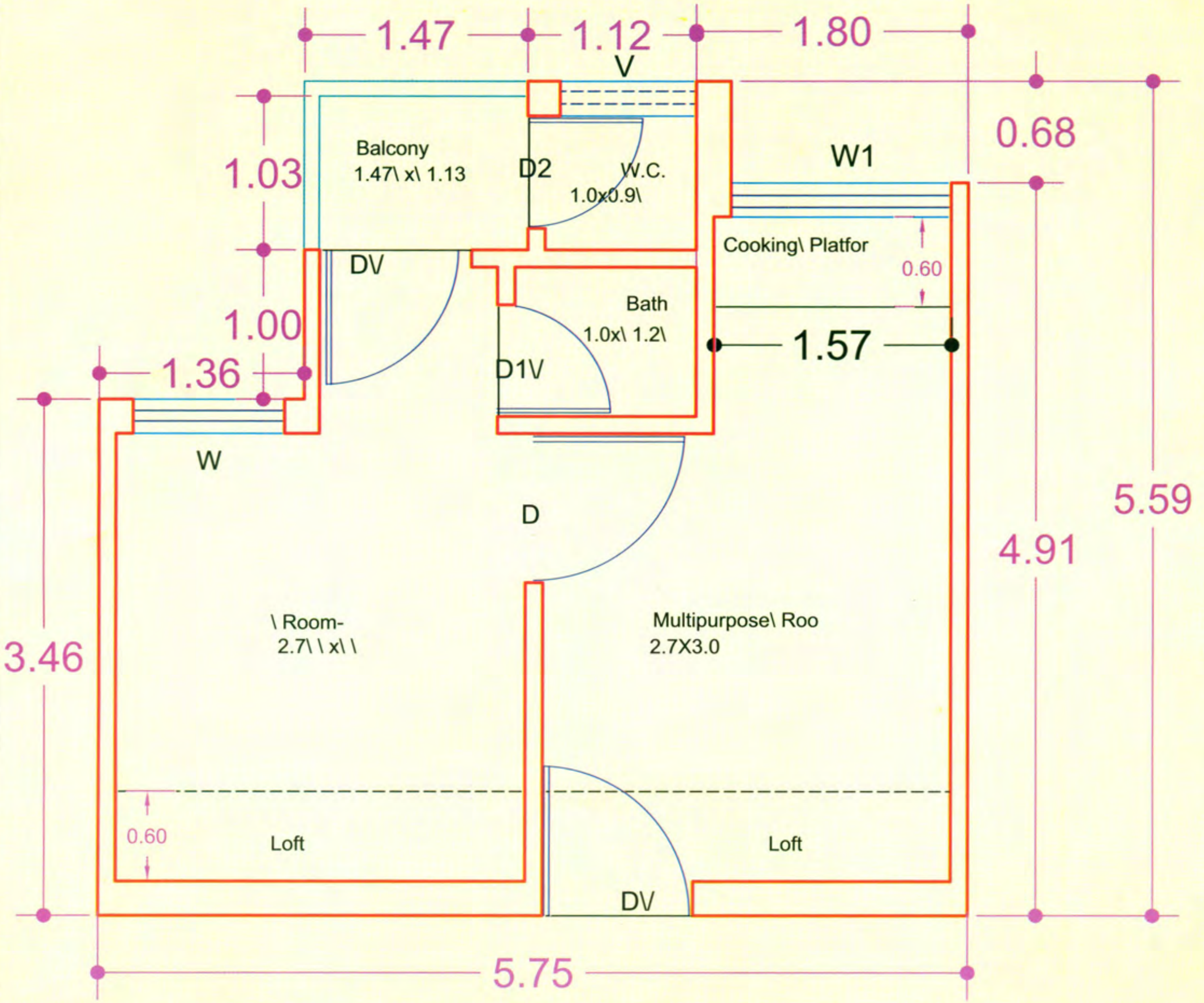

UNIT PLAN

CARPET\ AREA\ =22.77\ SQ
SUPER\ AREA\ OF\ ONE\ UNIT\ =\ 34.
HT.\ FLOOR\ TO\ CEILING\ =2

OPENING:-

S.N.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARKS
1.	DV	900	2700	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
2.	D1V	750	2700	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
3.	D	900	2100	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
4.	D1	750	2100	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
5.	W	1200	1200	Z-SECTION\ SINGLE\ 3\ LEAF\ WITH\
6.	W1	1000	1050	Z-SECTION\ SINGLE\ 2\ LEAF\ WITH\
7.	V	600	600	Z-SECTION\ SINGLE\ LEAF\ WITH\ G

BLOCK\ PLAN\ F
PM\ AWAS\ \ YO

हमारा प्रयास सबको आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

के अन्तर्गत लखनऊ, हाथरस, मैनपुरी, मुरादाबाद, इटावा, फतेहपुर, बांदा, कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, गाजियाबाद, गोण्डा, बहराइच, मऊ, बलरामपुर, बाराबंकी और मेरठ में **जी+3 प्रकार के फ्लैट/भवन** का विशेष पंजीकरण प्रारम्भ।

ऑफलाइन पंजीकरण अवधि 01.09.2020 से 15.10.2020 तक

जनपद : लखनऊ
कनकहा, मोहनलालगंज
UPRERAPRJ398030
भवनों की संख्या–720 नग
HDFC BANK 9307096384
शाखा : विशाल खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ

अवध विहार योजना, पाकेट–2
UPRERAPRJ290595
भवनों की संख्या–96 नग
AXIS BANK 9554476691
शाखा : प्रगति केन्द्र, लखनऊ

जनपद : हाथरस
ग्राम–रमनपुर
UPRERAPRJ504901
भवनों की संख्या–48 नग
AXIS BANK 8630452224
शाखा : अलीगढ़ रोड हाथरस

जनपद : मैनपुरी
औंडेन्य पड़रिया
UPRERAPRJ860406
भवनों की संख्या–96 नग
AXIS BANK 8936910931
शाखा : स्टेशन रोड, मैनपुरी

जनपद : मुरादाबाद
मझोला योजना सं0–4, से0–15
UPRERAPRJ685451
भवनों की संख्या–144 नग
मझोला योजना सं0–4, से0–16
भवनों की संख्या–96 नग
UPRERAPRJ156012
INDUSIND BANK 8193046919
शाखा : सिविल लाइन्स, मुरादाबाद

जनपद : इटावा
स्पिनिंग मिल योजना
UPRERAPRJ362532
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 9839084820
शाखा : केशवपुरम्, कानपुर, इटावा

जनपद : फतेहपुर
अन्दौली, विनोबानगर
UPRERAPRJ768148
भवनों की संख्या–96 नग
HDFC BANK 9412874666
शाखा : बिरहाना रोड, कानपुर, फतेहपुर

जनपद : बांदा
ग्राम–लड़ाकापुरवा
UPRERAPRJ658600
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 9005589259
शाखा : गूलर नाका, बांदा

जनपद : कानपुर देहात
ग्राम–आलमचन्द्रपुर, तह0–अकबरपुर
UPRERAPRJ134466
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 8795843737
शाखा : बिरहाना रोड, कानपुर

जनपद : कन्नौज
छिबरामऊ
UPRERAPRJ709744
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 9307989972
शाखा : केशवपुरम् कानपुर, कन्नौज

जनपद : उन्नाव
ग्राम–सिंगरौली
UPRERAPRJ583195
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 9795061653
शाखा : तकी नगर, उन्नाव

जनपद : हरदोई
तत्यौरा परगना–बावन
UPRERAPRJ968069
भवनों की संख्या–96 नग
AXIS BANK 9457548940
शाखा : बेहरा सौदागर, हरदोई

जनपद : रायबरेली
ग्राम–देवानन्दपुर, तह0–सदर
UPRERAPRJ340768
भवनों की संख्या–96 नग
ICICI BANK 9695756235
शाखा : कचहरी रोड, रायबरेली

जनपद : गाजियाबाद
मण्डोला विहार योजना, सेक्टर–19
UPRERAPRJ552035
भवनों की संख्या–624 नग
HDFC BANK 9958787719
शाखा : ट्रॉनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद

जनपद : गोण्डा
सिविल लाइन्स
UPRERAPRJ814610
भवनों की संख्या–396 नग
HDFC BANK 8090124258
शाखा : स्टेशन रोड, गोण्डा

जनपद : बहराइच
भिन्गा मार्ग योजना
UPRERAPRJ772651
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 8799048287
शाखा : मोण्डा, बहराइच

जनपद : मऊ
बढ़ुआ गोदाम, तहसील–सदर
UPRERAPRJ704819
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 9838792938
शाखा : शाहाबाद पूरा, मऊ

जनपद : बलरामपुर
ग्राम–धुधुलपुर
UPRERAPRJ113803
भवनों की संख्या–48 नग
HDFC BANK 9956299910
शाखा : बीर विनय क्रॉसिंग, बलरामपुर

जनपद : बाराबंकी
ग्राम–बड़ेल, तह0–नवाबगंज
UPRERAPRJ506045
INDUSIND BANK 9670734777
भवनों की संख्या–48 नग
शाखा : निकट डी.एम. आवास, बाराबंकी

जनपद : मेरठ
जागृति विहार योजना, सेक्टर–2
UPRERAPRJ321319
भवनों की संख्या–480 नग
HDFC BANK 9319050019
शाखा : गढ़ रोड, मेरठ

जागृति विहार योजना, सेक्टर–8ए
UPRERAPRJ930149
भवनों की संख्या–96 नग
शाखा : दिल्ली चुंगी, मेरठ

फ्लैटों का विवरण

कार्पेट/सुपरएरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/भवन की कुल लागत (रु० लाख में)	भारत सरकार/राज्य सरकार का अंशदान (रु० में)	पंजीकरण धनराशि (रु० में)	30 दिन में एकमुश्त जमा योग्य धनराशि (रु. में)	शेष धनराशि 3 वर्षों की 12 त्रैमासिक किश्तों में देय (रु. में)
22.77/34.07	6,00,000	2,50,000	5,000	45,000	3,00,000

पंजीकरण पुस्तिका रु० 100 (जीएसटी सहित) भुगतान कर उपरोक्त बैंक शाखाओं से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन पत्र भरकर (पंजीकरण धनराशि सहित) उपरोक्त बैंकों में ही जमा की जा सकती है।

विशेष नोट

- पंजीकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट http://www.upavp.in पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किये जाएंगे।
- ऑफलाइन पंजीकरण हेतु पंजीकरण धनराशि रुपये 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो संबंधित शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए।
- पंजीकरण तथा आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत आदेश/दिशा-निर्देश बाध्यकारी होंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in देखें।
- रेरा से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.up.rera.in देखें।
- इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को होगा, ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

पात्रता

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय रु० 3 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास उसके नाम से अपना अथवा उसके परिवार (पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम भारत के किसी भी भाग में अपना मकान नहीं होना चाहिए।
- सूडा/डूडा/नगर निगम, नगर पालिका में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है किन्तु अपंजीकृत आवेदकों का सत्यापन सूडा द्वारा किए जाने के उपरान्त पंजीकृत/सत्यापित आवेदक ही आवंटन हेतु पात्र होंगे।

पुस्तिका मूल्य रु. 100/- (जी.एस.टी. सहित)

अवशेष किश्तों की धनराशि MCLR+1 (7.95%+1%) ब्याज के साथ देय होगी।

IS 15700:2005
(सेवोत्तम प्रमाणित)

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
website: http://www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

टोल फ्री
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
1800-180-5333 दूरभाष 0522-2236803
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।